राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(18)आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2017–18/9346-9506 दिनांक : 28/03/18

परिपत्र

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित बजट का उपयोग करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सभी अधिनस्थ कार्यालयों को विभिन्न बजट शीर्षो के अन्तर्गत विभिन्न बजट मदों यथा यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय आदि में आवंटन किया हुआ है, परन्तु IFMS पर उपलब्ध व्यय आंकडो से प्रकट हो रहा है कि अनेक कार्यालयों द्वारा अभी तक आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया गया है।

अतः सभी कार्यालयाध्यक्षो/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अनेक कार्यालयों को आवंटित बजट के विरूद्ध कोषालय को जिस दिनांक को बिल भेज गये वह दिनांक सहित बिलों का बजट मदवार विवरण मय बिल नम्बर, दिनांक एवं राशि सहित अधोहस्ताक्षकर्त्ता को ई–मेल पर आज दिनांक 28.03.2018 को सांय 3.00 बजे तक अवगत करावें।

विभाग को आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग करने को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिन कार्यालयों के द्वारा उक्त सूचना अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराई जायेगी, तो यह माना जावेगा कि उनके कार्यालय में उपलब्ध राशि समर्पित योग्य है, जिसे आज दिनांक 28.03.2018 को सांय 4.00 समर्पित कर लिया जावेगा।

(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3(18)आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2017–18/9346-9506 दिनांक : 28/03/18

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्राचार्य राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड ....।
3. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/(रसायन)/(गुण नियंत्रण)/(शष्य) ....।
4. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) ....।
5. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)/(वनस्पति) ....।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड एवं समस्त कार्यालयों की विभागीय ई–मेल पर प्रेषित करने हेतु।

(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार, कृषि